कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 3046 /6-22(खाद्यान्न) अल्मोड़ा दिनांक 13/04/2023

अतिअल्प कालीन निविदा सूचना (खाद्यान्न आपूर्ति हेतु)

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मृग विहार अल्मोड़ा में वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवधि के लिए खाद्यान्न आपूर्ति हेतु दिनांक 06–05–2023 तक "रजिस्टर्ड डाक" द्वारा मुहरबन्द निविदा 1000/–(एक हजार) +18% जी0एस0टी0 मात्र के निर्धारित टैण्डर फार्म में अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है । यह निविदाएं दिनांक 06–05–2023 को अपरान्ह 4.00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा खोली जायेंगी । टैण्डरदाता चाहे तो स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि टैण्डर खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं । टैण्डर देने से पूर्व निविदादाता निम्न शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें अन्यथा शर्तों की पूर्ति न होने से टैण्डर निरस्त किया जा सकता है। टैण्डर फार्म नकद मूल्य पर इस कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को दिनांक 04–05–2023 तक खरीदे जा सकते हैं। यदि निर्धारित तिथि को किसी प्रकार का अवकाश होता है, तो तिथि अगली तारीख मानी जायेगी।

टैण्डर की शर्तेः–

1– टैण्डर इस कार्यालय द्वारा बेचे गये **1000/– (एक हजार) + 18% जी0एस0टी0** मात्र के टैण्डर फार्म में ही देना होगी तथा इस टैण्डर फार्म के साथ **100/– (एक सौ)** मात्र का नौन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में हस्ताक्षर उपरान्त संलग्न कर टैण्डर केवल रजिस्टर्ड डाक द्वारा इस कार्यालय में निर्धारित तिथि व समय पर पहुँच जाने चाहिए ।

2– डाक के बिलम्ब अथवा अन्य कारणों से विलम्ब होने पर विभाग उत्तरदायी नहीं होगा । विलम्ब से अथवा अपूर्ण कार्यवाही कर प्राप्त टैण्डर स्वतः निरस्त व अमान्य माना जायेगा ।

3– निविदादाता को व्यापार कर कार्यालय, जिला परिषद एवं फूड सेफटी में खाद्यान्न बिक्री किये जाने हेतु पंजीकृत होना चाहिए इन सभी पंजीयनों की वर्ष 2023–24 की प्रमाणित फोटो प्रति भी निविदा के सथ संलग्न करनी होगी ।

4– निविदादाता को जिलाधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक अथवा तहसीलदार अथवा फूड सेफ्टी अधिकारी द्वारा छः माह के अन्तर्गत जारी इस आशय के प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी कि निविदाताओं के विरूद्ध खाद्यान्न विषयक कोई वाद नहीं चल रहा है ।

5– निविदादाता को **25,000/–(पच्चीस हजार)** मात्र की अधोहस्ताक्षरी के नाम बन्धक नेक जमानत निविदा के साथ लगानी होगी । यह डाकघर, से निर्गत राष्ट्रीय बचत पत्र या बैक एफ0डी0आर0 के रूप में संलग्न की जायेगी । बिना नेक जमानत के टैण्डर स्वीकृत नहीं किये जायेगे।

6– निविदा साफ–साफ भरी जानी चाहिए । इसमें किसी प्रकार की काट–छाँट (overwriting) नहीं की जानी चाहिए । यदि कहीं आवश्यक हो तो कटिंग पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए । निविदा समस्त कर सम्मिलित करते हुए दी जानी चाहिए तथा भुगतान के समय सभी करों की कटौती नियमानुसार करते हुए भुगतान किया जायेगा ।

7– सफल निविदादाता को निविदा उच्च स्तर से स्वीकृत होने पर 3 दिन के अन्दर प्रतिज्ञा पत्र में हस्ताक्षर करने होंगे तथा कार्यादेश/आपूर्ति आदेश जारी होने के बाद सामग्री निश्चित समय पर सही तौल व उचित मानक तथा गुणवत्ता युक्त न देने की स्थिति में टैण्डर व इकरार खारीज माना जायेगा तथा विभाग के पास बन्धक धन को अपहरित कर लिया जायेगा ।

8– सफल निविदादाता को सामग्री संबंधित कार्यप्रभारी व प्रभारी मृग विहार, अल्मोड़ा, अधोहस्ताक्षरी अथवा विभाग के अन्य अधिकारी के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश व उसकी संतुष्टि अनुसार उपलब्ध करानी होगी । किसी प्रकार की शिकायत व शिथिलता पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा । सामग्री प्रत्येक माह की तीन (3) तारीख तक मृग विहार, अल्मोड़ा में स्वयं के खर्चे पर विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि को सौंपनी होगी।

9– इस सूचना में अंकित सामग्री की मात्रा अनुमानित है यह वास्तविक स्थिति के अनुसार घट बढ़ सकती है । ऐसी स्थिति में ठेकेदार तद्नुसार ही आपूर्ति करने को बाध्य होगा । निविदा में दर्शित सभी सामग्री की आपूर्ति लेना विभाग को बाध्यकारी नहीं है । निविदा में दर्शित किसी सामग्री की आपूर्ति की आवश्यकता न होने पर उस सामग्री की आपूर्ति नहीं ली जायेगी ।

10–दरें प्रति कुन्तल एफ.ओ.आर. मृग विहार देनी होंगी । किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा ।

आई. टी. सी. आवश्यक कार्यवाही

D.C. 25.4.2023

(क्रमशः 2/पर)

11–मृग विहार, अल्मोड़ा के अन्तर्गत स्थित वन्य जीवों का फूड चार्ट तैयार करने हेतु गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर, नैनीताल के पशु वैज्ञानिकों के दल द्वारा मृग विहार का समय–समय पर भ्रमण किया जाता है । इस दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पशुओं हेतु भोजन सामग्री के प्रकार व मात्रा में परिवर्तन हो सकता है । नयी या परिवर्तित भोजन सामग्री की संस्तुति उक्त वैज्ञानिकों से प्राप्त होने पर इस नयी या परिवर्तित भोजन सामग्री के क्रय हेतु पृथक से कार्यवाही की जायेगी जिसके सम्बन्ध में इस टेण्डरदाता की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी ।

12–निविदा के साथ आपूर्तिकर्ता को पैन नम्बर, जी0एस0टी0नम्बर आदि संलग्न करना अतिआवश्यक है।

सामग्री की मात्रा का अनुमानित विवरण

1–	चना साबूत (देशी)	106.507	कु0 प्रति वर्ष
2–	चौकड़ गेहूँ का	93.148	–"–
3–	आटा गेहूँ का	0.92	–"–
4–	पशु आहार (आई.एस.आई. मार्क)	73.620	–"–
5–	नमक	1.83	–"–

उपरोक्त के सम्बन्ध में अन्य ज़ानकारी इस कार्यालय अथवा प्रभारी मृग विहार, अल्मोड़ा से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है ।

(ध्रुव सिंह मार्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 3046 / 16-38 (भैंसा गोश्त) अल्मोड़ा दिनांक 13/04/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, वृहत प्रचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।
2– जिला अधिकारी, अल्मोड़ा तथा परगनाधिकारी बारामंडल, अल्मोड़ा ।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
4– अध्यक्ष जिला परिषद / नगर पालिका, अल्मोड़ा ।
5– जिला सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा ।
6– प्रभारी अधिकारी, आई0टी0 सैल कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
7– समस्त वन क्षेत्र अधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
8– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आशुलिपिक, लेखा एवं भण्डार लिपिक एवं मानचित्रकार ।
9–सूचना पट्ट ।

(ध्रुव सिंह मार्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।